

## नियमावली

1. संस्था का नाम : राम किशोरी देवी जनसेवा संस्थान
2. संस्था का पता : 10जे, लोहिया मार्ग, सिविल लाइन्स,  
इलाहाबाद (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य : रमृति-पत्र के अनुसार।
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :

(अ) आजीवन सदस्यः

संस्था को 1001/- रुपया नगद या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वाले को आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

(ब) सामान्य सदस्यः

संस्था को प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 101/- रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वाले को सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

सदस्यता की समाप्ति :

गृह्य होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, कोढ़ी होने पर, किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर, संस्था के नियमों का पालन न करने पर, नियमानुसार सदस्यता शुल्क न अदा करने पर, लगातार तीन बैठकों में बिना किसी शोषण के अनुपरिधित रहने पर, त्याग पत्र शेखावार होने पर, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर, सदस्यता स्वयं समाप्त हो जायेगी।

संस्था के अंग :

संस्था के दो अंग होंगे:-

- (अ) साधारण सभा
- (ब) प्रबन्धकारिणी सभा

एम डी ओड़िया / M.D.Odia  
प्रमुख / Principal  
राज्य विद्यालय ३१ / Kendriya Vidyalaya No. 1  
वायु सेना वाल / Air Force Station,  
गोरखपुर / Gorakhpur

साधारण सभा :

Principal  
Dinapur Public School  
Dinapur, Ghazipur (U.P.) दीनापुर पब्लिक स्कूल  
दीनापुर-गाजीपुर (उ०प्र०)

(अ) गठन: साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

(ब) बैठकें: साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में एक व विशेष बैठकों को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है।

(स) गणपूर्ति: साधारण सभा की सभी प्रकार बैठकों के लिए कुल सदस्य जंख्या के  $\frac{2}{3}$  की उपरिथिति आवश्यक होगी। किन्तु कोरम के अभाव में रथगित बैठकों को दो घण्टे बाद पुनः आहूत करने पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्ण ही रहेंगे।

(द) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि:

1. पाँच वर्ष के लिए प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. वार्षिक आय-व्यय, बजट को पारित करना।
3. नियमों व विनियमों में  $\frac{2}{3}$  के बहुमत से संशोधन कार्यवाही करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति:

(अ) गठन :

M.D. Ojha  
Principal / P.M.C.P.A.I.  
राज्य विद्यालय No.1 / Kendriya Vidyalaya No.1  
बहुमत स्थान / Air Force Station  
गोरखपुर / Gorakhpur

**✓** प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के पाँच वर्ष के सदस्य मिलकर साधारण सभा के अधिवेशन में चुनाव द्वारा बहुमत से गठरेंगे। जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक / सचिव, एक उपप्रबन्धक / उपसचिव एक कोषाध्यक्ष, एक आडीटर तथा पाँच सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल 11 प्रदातिकारियों की प्रबन्धकारिणी समिति

(ब)

**✓**  
Principal  
कैंपस  
Dinapur Public School  
Dinapur, Ghazipur (U.P.)

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक में प्रकार विशेष बैठकें दीनपुर पब्लिक स्कूल  
दीनपुर-गाजिपुर (उप.)

आवश्यकतानुसार कभी भी बुलायी जा सकती है।

(स) सूचनावधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक सात दिन पूर्व व विशेष बैठक को 24 घण्टे पूर्व सूचना देकर बुलायी जा सकती है।

(द) गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या का  $\frac{2}{3}$  की उपरिथिति आवश्यक होगी, किन्तु रथगित बैठकों पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

Signature (य) रिक्त स्थानों की पूर्ति: प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति साधारण सभा की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत से शेष कार्य के लिए किया जायेगा।

Rajiv Singh (र) कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

V.N.Singh (ल) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:

1. संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।
2. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना।
3. वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उसका लागू करना।
4. विधायिका की समरत चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।
5. उपसमितियों के उपनियमों को बनाना और उसके पदाधिकारियों को नियुक्त करना।

Principal  
Rajiv Nagari Public School  
Dinapur, Ghazipur (U.P.)

एम डी ओ ओजा / M.D.Ojha  
प्राचर्य / PRINCIPAL  
ट्रिटमेंट नं.1 / Kendriya Vidyalaya No.1  
त्रितु सेना स्कूल / Air Force Station  
गोरखपुर / Gorakhpur

Principal  
Dinapur Public School  
Dinapur, Ghazipur (U.P.)

[ 4 ]

एवं अनुदान, चन्दा, दान, अमानतें,  
चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः

अध्यक्षः

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना।
3. समय-समय पर संस्था के कार्यों वा निरीक्षण करना।
4. रामान मत होने पर अपने एक निर्णायक गत का प्रयोग करना।
5. बैठकों आदि की तिथियों का अनुमोदन व परिवर्तन करना।
6. प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित त्याग पत्रों को स्वीकार करना।
7. संस्था पर नियंत्रण रखते हुए उसके विकास हेतु प्रयास करना।

उपाध्यक्षः

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अथवा उसके द्वारा अधिकृत कार्यों को करना, समापति रूप से उसका सहयोग करना।

प्रबन्धक / सचिवः : नामः Principal / National School  
रामी प्रकार की बैठकों को संचालित करना।

2. बैठकों की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।
3. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रबन्ध समिति के सम्मेलन प्रस्तुत करना।

एम् डॉ अजा / M.B. Ojha  
प्राचीर्य / PRINCIPAL  
रामी नेत्र स्थल / Kendriya Vidyalaya No.1  
गोरखपुर / Gorakhpur

Principal /  
Dinapur Public School  
Dinapur, Ghazipur कार्यालय  
धनबाद संस्थान संघरण सभा द्वारा पारित  
दीनपुर सालौर (उत्तर)  
दीनपुर-सालौर (उत्तर)

[ 5 ]

5. संस्था की ओर से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
6. संस्था की ओर से समर्त बिलों एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
7. संस्था की ओर से समर्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
8. संस्था के मुख्य कार्यवाहक अधिकारी के रूप में कार्य करना।
9. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्दा आदि प्राप्त करना।
10. खादी, ग्रामोद्योग वोर्ड, खादी आयोग के नियमानुसार संस्था का संचालन, प्रबन्ध कार्य करना।
11. आव्याक की अनुमति से कर्मचारियों व कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निलम्बन व पदोन्तति वेतनवृद्धि वेतन वितरण एवं पदच्युत करना।
12. आवश्यकतानुसार 5000/- रुपये तक व्यय करना, आधिक धन के लिए प्रबन्ध समिति से अनुमोदन प्राप्त करना।
13. संस्था की समर्त चल, आचल सम्पत्ति एवं अभिलेखों पर नियंत्रण करना।
14. प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।
15. Naval's National Academy Rapti Nagar Gorakhpur संस्था के विकास हेतु सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं से सम्बंध स्थापित करना।
16. वार्षिक आय-व्यय का विवरण तैयार करना।

Mr. Dr. M.D. Ojha  
प्राचार्य / Principal  
राजनीति / Kendriya Vidyalaya No. 1  
द्रुतगति व्यास / Air Force Station,  
गोरखपुर / Gorakhpur

Principal  
Naval's National Academy  
Rapti Nagar Gorakhpur

Principal  
Dinapur Public School  
Dinapur, Ghazipur

व्यय संस्था की प्रत्येक अभिलेखों को  
दोनों पक्षों पर सम्बद्ध करना।  
देवगढ़-गाजीपुर

18. सदस्यों से सादरता शुल्क प्राप्त कर उन्हें उसकी रसीद देना।

उपप्रबन्धक / उपसचिव प्रबन्धक / सचिव की अनुपरिस्थिति में या उनके द्वारा दिये गये अधिकृत कार्य करना व उनके कार्यों में सहयोग करना।

## कोषाध्यक्ष :

कोष से सम्बन्धित विवरण रखना व रसीद, दान, चन्दा आदि से संबंधित रसीद काटना व रखना।

आडीटरः

वार्षिक रिपोर्ट पेश करना व आय-व्यय से रामबंधित लेखा रखना व प्रबन्धक/सचिव की अनुमति से पेश करना।

10. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

staff

Yunakma

Banjy Singh

Rgantam

### 11. संस्था का कोष :

रारथा के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन, साधारण सभा द्वारा वैठक में 2/3 के बहुमत से सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 व 4 (क) के अनुसार किया जायेगा।

- ## 11. संस्था का कोष :

संरथा का समरत कोष किसी राष्ट्रीयकृत वैंक में संरथा के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा। धन का आहरण संरथा के प्रबन्धक/सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

- #### 12. संस्था का परीक्षणः

V. McIngvay

Principal  
National Academy  
Bar, Gorakhpur  
नियुक्त  
संघ

संस्था का समर्त आय-व्यय का लेखा प्रतिवर्ष सब फी समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त धोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13. संस्था द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

मिस्ट्री विद्यालय / M.D. Ojha  
केंद्रीय विद्यालय No. 1 / Kendriya Vidyalaya No. 1  
गोरखपुर एयर फोर्स स्टेशन / Air Force Station,  
गोरखपुर

रारथा  
प्रिमिय  
Principal  
Dinapur Public School  
Dinapur, Ghaziabad (U.P.)

संस्था द्वारा अधिकारी उसके विरुद्ध समर्पित  
एसेल्सोल के निपटारे का  
लिप्ति प्रयोग की इच्छा वाला है। होगा संधा समर्पित  
दीनांक-वार्षिक।

प्रकार की अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के प्रबन्धक / मंत्री करेंगे।

14. संस्था के अभिलेखः

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेण्डा रजिस्टर
4. कैश बुक
5. लेजर बुक
6. बाउचर फाइल व अन्य आवश्यक पत्रावलियाँ।

15. संस्था का दायित्वः

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग कुटीर एवं प्रामीण उद्योग निदेशालय तथा अन्य वित्तीय संस्था से जो भी आर्थिक सहायता ऋण प्राप्त करेगी उसके विषय में और ऋण दाता के पक्ष में संस्था अपनी या अपने सदस्य की अथवा अपने किसी एक सदस्य की अचल सम्पत्ति को निवधन अधिनियम की धारा-5(ए) के अनुसार साम्यक बंधक रहेगी।

संस्था वो प्राप्त ऋण की अदायगी का उत्तरदायित्व संस्था के प्रत्येक सदस्य का रामोहिता व्यक्तिगत होगा। यदि कोई सदस्य संस्था से त्याग पत्र दे देता है तो भी ऋण की अदायगी जिम्मेदारी उसकी अपनी तब तक रहेगी जब तक रामपूर्ण ऋण की अदायगी प्रमाण पत्र नहीं देगा।

16. संस्था का विघटनः

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निरस्तारण की कार्यवाही यही रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत

एम्डो ओडा / M.D. Ojha  
प्राचीन शिल्प / Prachin Shilp  
केंद्रीय विद्यालय No.1 / Kendriya Vidyalaya No.1  
ग्रामीण विद्यालय / Air Force Station  
गोरखपुर / Gorakhpur

Principal  
Dinapur Public School  
Dinapur, Ghazipur (U.P.)

Principal  
Kapil Nagar Gram Panchayat  
Dinapur, Ghazipur (U.P.)

प्रभान्तु  
दीनपुर पालिका समूह  
दीनपुर-गाजीपुर (उपर)  
गोरखपुर

श्री

हस्ताक्षर